

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(16)नविवि / बौली / 2024

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को बौली, जिला—सवाईमाधोपुर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:—

राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में		राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1.	बौली	Bonli
2.	किला बौली	Kila Bonli
3.	अलूदा	Aluda
4.	रवासा	Rawasa
5.	खिरखड़ी	Khirkhadi
6.	थड़ी	Thadi
7.	पूनेता	Puneta
8.	सोतोली	Sotoli
9.	बड़ागांव सरवर	Badaganv Sarwar
10.	सरवरी	Sarwari
11.	बासटोरड़ा	Bastorda

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
- जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, (एन.एस.आर.), नगर नियोजक भवन, जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर।

6. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
 7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सुलतानपुर, जिला कोटा।
 8. प्रौग्नामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- 9 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम